उत्तर प्रदेश शासन
राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग
संख्या-2/सी0एम0-26/चालीस-2013-27(29)/92
लखनऊ : दिनांक 20 दिसम्बर, 2013

<u>विज्ञप्ति</u>

इस कार्यालय द्वारा निर्गत विज्ञप्ति संख्या-सी0एम0-02/चालीस-2012-27(29)/92, दिनांक 04 जनवरी, 2013 द्वारा श्री आबिद खान, पुत्र स्व0 श्री जाहिद हुसैन खां , निवासी दरगाह ए आला हजरत, बरेली शरीफ, जनपद बरेली को उपाध्यक्ष, राज्य एकीकरण परिषद, उत्तर प्रदेश (राज्यमंत्री स्तर) के पद पर किये गये नामांकन को तात्कालिक प्रभाव से एतदद्वारा श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष निरस्त करते हैं, उनको इस पद के फलस्वरूप दी गयी सुविधाएं भी एतदद्वारा निरस्त/निष्प्रभावी समझी जायेंगी।

नेत राम
प्रमुख सचिव।

संख्या-सी0एम0;26(1)/चालीस-2013-27(29)/92

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल।
(2) प्रमुख सचिव/सचिव, गृह/सचिवालय प्रशासन/वित्त/राज्य सम्पत्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(5) समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
(6) श्री आबिद खान पुत्र स्व0 श्री जाहिद हुसैन खां निवासी दरगाह ए आला हजरत, बरेली शरीफ, जनपद बरेली।,
(7) सचिवालय के समस्त अनुभाग।
(8) मा0 मुख्य मंत्री तथा अन्य मा0 मंत्रियों के निजी सचिवों को मा0 मुख्य मंत्री जी/मा0 मंत्री-गण के सूचनार्थ।
(9) सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन/अनुभाग अधिकारी, शिक्षा (लेखा प्रकोष्ठ)।
(10) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(11) निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ कि इस विज्ञप्ति को उ0प्र0 गजट के आगामी अंक में कृपया प्रकाशित करने का कष्ट करें।
(12) गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(नेत राम)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in